राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल 462004

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2015/5566 भोपाल, दिनांक 26/05/2015

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश

विषय :– वर्ष 2015–16 में पोषण–पुनर्वास केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशासकीय दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक शिशु स्वास्थ्य पोषण/2015/4459, दिनांक 27.04.2015।

*****

शिशु स्वास्थ्य–पोषण, वर्ष 2015–16/परिपत्र क्रमांक –7

विषयान्तर्गत लेख है कि पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों का संस्थागत प्रबंधन आई.ए.पी./ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक मापदण्ड अनुसार किया जा रहा है। पोषण पुनर्वास केन्द्र के समुचित उपयोग हेतु निम्नानुसार प्रशासकीय निर्देश दिये जाते हैः–

- **पोषण पुनर्वास केन्द्र में गंभीर कुपोषित बच्चों की भर्ती हेतु कोई निर्धारित समय नहीं है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि केन्द्र में उपचार हेतु आये समस्त गंभीर कुपोषित बच्चों को सर्वथा मानक उपचार प्राप्त हो।**
- गंभीर कुपोषित बच्चों में मृत्यु का जोखिम 9 गुना अधिक होता है, जिसमें से 6 माह से कम उम्र के शिशु, 2 वर्ष तक के बच्चे तथा घुम्क्कड़ प्रजाति के बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं।
- **पोषण पुर्नवास केन्द्र स्वास्थ्य संस्था का एक अभिन्न अंग है अतः केन्द्र के दैनिक रखरखाव, आवश्यक माईनर ढ़ॉचागत सुधार, चादरों की दैनिक धुलाई, दैनिक साफ–सफाई की व्यवस्था अस्पताल प्रशासन के दैनिक व्यवस्थाओं के अधीन ही सुनिश्चित की जाये।**
- **विशिष्ट कार्यो हेतु पोषण पुर्नवास केन्द्र के वार्षिक प्रबंधन राशि का उपयोग किया जाये।**
- **बेड ऑक्यूपेंसी दर में सुधार हेतु :–**
  - **पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं पोषण प्रशिक्षक द्वारा महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों एवं मैदानी कार्यकर्ताओं से समन्वय कर आगामी दो माह हेतु भर्ती योग्य गंभीर कुपोषित बच्चों की ग्रामवार नाम आधारित ड्यू लिस्ट संधारित की जाए ।**
  - बेहतर समन्वय हेतु पोषण प्रशिक्षक द्वारा सी.यू.जी. सि्म का उपयोग अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।
  - विभिन्न चिकित्सालयों में पदस्थ शिशुरोग विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ओ.पी.डी. के दौरान भी गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्र में रेफर एवं भर्ती सुनिश्चित किया जाए।
- समस्त पोषण पुनर्वास केन्द्र में साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये, सतत स्वच्छ पानी की उपलब्धता, शौचालय एवं स्नान घर की साफ–सफाई, शैय्यों पर स्वच्छ चादर की उपलब्धता आदि सुनिश्चित की जाए।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु आवश्यक औषधियों एवं सभी जरूरी किचन/Medical Equipments की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- **भर्ती बच्चों एवं उनकी माताओं का पृथक बेड साईड डिस्प्ले सुनिश्चित किया जाये। माताओं की स्वास्थ्य संबंधी जॉचे हिमोग्लोबिन तथा परिवार कल्याण सेवा संबंधी जानकारी बेड साईड डिस्प्ले पर प्रदर्शित रहे।**
- भर्ती बच्चे के साथ आये छोटे भाई–बहनों का टीकाकरण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।

- **पोषण प्रशिक्षक द्वारा पोषण पुनर्वास केन्द्र से छुट्टी उपरांत गंभीर कुपोषित बच्चों के फॉलो–अप हेतु समय–सारणी दो प्रतियों में तैयार कर, एक प्रति बच्चे की माँ एवं परिजन को एवं एक प्रति आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/प्रेरक को दी जाना सुनिश्चित की जाए।**
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती अवधि के दौरान भर्ती बच्चों की माताओं को निःशुल्क भोजन प्रति महिला राशि ₹ 80/– प्रतिदिन के मान से प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें।
- इस हेतु भर्ती बच्चों की माताओं को आंतरिक रोगी हेतु राज्य बजट में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रावधानित राशि ₹ 40 /– प्रतिदिन प्रतिमाता अनुसार भोजन प्रदाय किया जाए। अतिरिक्त राशि ₹ 40/– की प्रतिपूर्ति जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि से की जाये **(परिशिष्ट–1)**।
- पोषण पुनर्वास केन्द्रों में समस्त अभिलेखों का संधारण त्रुटिरहित एवं नियमित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक सैम चार्ट एवं एन.आर.सी. रजिस्टर प्राप्त कर पोषण पुनर्वास केन्द्रों में प्रदायगी सुनिश्चित किया जाए।
- जिलों में पदस्थ जिला पोषण सलाहकार/यूनिसेफ के संभागीय पोषण समन्वयकों से समन्वय कर आई. वाई.सी.एफ. संबंधी डॉक्यूमेंट्री चलचित्र जैसे– सयानी काकी, Breast Crawl आदि का प्रदर्शन पोषण पुनर्वास केन्द्र पर उपलब्ध टी.वी./एल.सी.डी. पर अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।
- चिकित्सा अधिकारी एवं पोषण प्रशिक्षक द्वारा यह सवर्था सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में एन. आर.सी. के प्रोटोकॉल का उल्लंघन न हो एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की भर्ती मानक मापदण्डों के अनुरूप ही हो।

(फैज़ अहमद किदवई)
मिशन संचालक,
एन.एच.एम.मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2015/5567 **भोपाल, दिनांक**26**/05/2015**

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. **प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।**
2. **आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।**
3. **संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, , भोपाल, मध्यप्रदेश।**
4. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।**
5. **समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।**
6. **समस्त अधिष्ठाता, मेडीकल कॉलेज, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा एवं सागर, म.प्र.।**
7. **पोषण विशेषज्ञ, यूनीसेफ, भोपाल, मध्यप्रदेश।**
8. **डिप्टी टीम लीडर, एम.पी.टास्ट, मध्यप्रदेश।**
9. **राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, एम.आई., मध्यप्रदेश।**
10. **समस्त जिला MO NRC, मध्यप्रदेश।**
11. **समस्त संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।**
12. **समस्त जिला लेखा प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।**
13. **समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।**
14. **समस्त जिला पोषण सलाहकार, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।**
15. **समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश – निर्देश की प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों को उपलब्ध करायें।**

मिशन संचालक
एन.एच.एम,मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
राज्य स्वास्थ्य समिति
बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय तल, अरेरा हिल्स
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र./आर.सी.एच./एम.एच./2013/ 399 — भोपाल, दिनांक 21/05/2013

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
   मध्य प्रदेश

विषय:— शासकीय संस्थाओं में भर्ती मरीजों हेतु निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:— पत्र क्र. आरसीएच/एमएच/2013/306 दिनांक 03.04.2013

——00——

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत निशुल्क भोजन प्रति महिला रूपये 80/— प्रतिदिन (रूपये 40/— जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा रूपये 40/— राज्य बजट से) तथा संस्था में भर्ती अन्य मरीजों को रूपये 40/— प्रतिदिन प्रति मरीज के मान से राज्य मद से आहार प्रदान किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये थे।

आपको निर्देशित किया जाता है कि अन्य भर्ती मरीजों हेतु प्रावधानित डाईट चार्ट में नाश्ते के समय पोहा, उपमा, मीठा दलिया, टोस्ट रस्क को सम्मिलित किया जाए तथा उक्त डाईट चार्ट अनुसार निशुल्क भोजन व्यवस्था सुनिश्चित कर राज्य स्तर से प्रेषित किये जा रहे डाईट चार्ट को स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रदर्शित किया जाए ।

संलग्न—डाईट चार्ट

(डॉ. जे.एल. मिश्रा)
संचालक, एन.आर.एच.एम.
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/आर.सी.एच./एम.एच./2013/ 400 — भोपाल, दिनांक 21/05/2013

प्रतिलिपि—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वा. एवं प.क. विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम., मध्यप्रदेश।
5. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश
6. संचालक, वित्त, एन.आर.एच.एम., मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय सलाहकार/मातृ स्वास्थ्य सलाहकार, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक।

संचालक, एन.आर.एच.एम.
मध्यप्रदेश

अन्य भर्ती मरीजों हेतु डाईट चार्ट

डाईट चार्ट – सोमवार/गुरूवार

समय	सामग्री	अनुमानित मात्रा
नाश्ता 9.00 से 9.30 बजे	दूध, पोहा/उपमा	1 ग्लास (250 एम.एल)
भोजन 1.30 से 2.00 बजे	सलाद	1 कटोरी (60 ग्राम)
	रोटी	3–4 नग (35 ग्राम)
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)
	दाल (अरहर/खड़ी मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)
	नमकीन दलिया	1 कटोरी (100 ग्राम)
संध्या 3.30 से 4.30 बजे	चाय	1 कप (125 एम.एल.)
	बिस्किट	4 नग
रात्रि भोजन 8.00 से 8.30 बजे	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)
	दाल (अरहर, मूंग, खड़े मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)

डाईट चार्ट – मंगलवार/शुक्रवार/रविवार

समय	सामग्री	अनुमानित मात्रा
नाश्ता 9.00 से 9.30 बजे	दूध, टोस्ट रस्क, दलिया	1 ग्लास (250 एम.एल)
भोजन 1.30 से 2.00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)
	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)
	दाल (मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)
	चावल	1 कटोरी (150 ग्राम)
संध्या 3.30 से 4.30 बजे	चाय	1 कप (125 एम.एल.)
	बिस्किट	4 नग
रात्रि भोजन 8.00 से 8.30 बजे	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)
	दाल (अरहर, मूंग, खड़े मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)

डाईट चार्ट – बुधवार/शनिवार

समय	सामग्री	अनुमानित मात्रा
नाश्ता 9.00 से 9.30 बजे	दूध, दलिया	1 ग्लास (250 एम.एल)
भोजन 1.30 से 2.00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)
	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)
	दाल (अरहर, मूंग, खड़े मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)
	नमकीन दलिया	1 कटोरी (150 ग्राम)
संध्या 3.30 से 4.30 बजे	चाय	1 कप (125 एम.एल.
	बिस्किट	4 नग
रात्रि भोजन 8.00 से 8.30 बजे	रोटी	3–4 नग (100 ग्राम)
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)
	दाल (अरहर, मूंग, खड़े मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
राज्य स्वास्थ्य समिति
बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय तल, अरेरा हिल्स
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/आर.सी.एच./एम.एच./2013–14/638 भोपाल, दिनांक 18/07/2013

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश

विषयः– **वर्ष 2013–14 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में।**
संदर्भः– **कार्यालय का पत्र कमांक/आर.सी.एच./एम.एच./2013/306 भोपाल, दिनांक 03.04.2013**

---00---

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रति महिला रूपये 80/– (रूपये 40/– जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा रूपये 40/– राज्य बजट से) प्रतिदिन के मान से भोजन प्रदायगी के निर्देश प्रेषित किये गये थे।

राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा मैदानी स्तर पर भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ है कि कई स्वास्थ्य संस्थाओं में भोजन व्यवस्था ठेके पर दी गई है जिसके कारण आहार तालिका अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है तथा भोजन की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वास्थ्य संस्था में ही भोजन पकाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदायगी सुनिश्चित की जा सके तथा आउटसोर्सिंग द्वारा भोजन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद की जाए।

समस्त जिलों को वर्ष 2013–14 में स्वीकृत रूपये 50/– प्रति महिला प्रतिदिन के मान से 2 दिवस हेतु सामान्य प्रसव तथा 7 दिवस हेतु सिजेरियन प्रसव के लिये स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्देशित किया जाता है कि रू. 80/– प्रतिदिन प्रति महिला (रूपये 40/– जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा रूपये 40/– राज्य बजट से) के मान से भोजन प्रदायगी निरंतर रखी जाये तथा जिलों द्वारा डाईट हेतु स्वीकृत कुल राशि में से 20 प्रतिशत राशि का उपयोग निम्नलिखित व्यवस्था हेतु सुनिश्चित किया जाए–

- भोजन तैयार करने हेतु रसौईयों (कुक) तथा सहायक की व्यवस्था जिले की कलेक्टर दर पर की जाये।
- रसौईयों तथा सहायकों की संख्या निर्धारण हेतु औसतन प्रतिदिन 25 भर्ती मरीजों (एन.आर.सी. में भर्ती बच्चों की माताओं को सम्मिलित कर) हेतु 1 रसोईयां (कुक) एवं 1 सहायक के मान से व्यवस्था की जाये।
- डाईट चार्ट का प्रदर्शन वाल राईटिंग अथवा फ्लेक्स चार्ट (3X4 फिट) आकार के डिलेवरी पाईंट्स पर सुनिश्चित किया जाये।